

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

प्रकरण संख्या :-110/25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सेटीन हाऊसिंग फाईनेन्स लि. ग्राउड फ्लोर, रूप जानकी टावर, प्लॉट नम्बर 03, रूप नगर, चित्रकुट मार्ग, अजमेर रोड़, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह राठौड़		<ul style="list-style-type: none">दंलाराम पुत्र दयाराम सरनों का बास, बिलाड़ा, भावी जोधपुरशान्ति देवी पत्नी दलाराम सरनों का बास, बिलाड़ा, भावी जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश दिनांक :-10.02.2026

उपस्थिति :-

1-चन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण दलाराम पुत्र दयाराम व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 5,98,658/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण दलाराम पुत्र दयाराम की जायदाद पट्टा नम्बर 10, बुक नम्बर 14, मिसल नम्बर 83/2019-20, ग्राम भावी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, जिसका क्षेत्रफल 161. जेपाराम का मकान



RajKaj Ref No.:
20432928



Signature valid

Digitally signed by Garav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2026.02.10 10:35:08 IST
Reason: Approved

बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 08.02.2025 तक 05,96,771/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 5,98,658/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 08.02.2025 तक 05,96,771/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्चुराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्चुरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद दलाराम पुत्र दयाराम की जायदाद पट्टा नम्बर 10, बुक नम्बर 14, मिसल नम्बर 83/2019-20, ग्राम भावी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, जिसका क्षेत्रफल 161.88 वर्गगज जिसके उत्तर में निकाल व रास्ता, दक्षिण में गणपत पुत्र गंगाराम पूर्व में चैनाराम पुत्र दयाराम एवं पश्चिम में भंवर लाल पुत्र जेपाराम का मकान आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नंबर 14449/25 में पारित आदेश दिनांकित 30.10.2025 के अनुसार प्रार्थी को पुलिस इमदाद बावत खर्च उभारना कराने की आवश्यकता नहीं है।



आज दिनांक 10.02.2026 को सुनाया गया।

दिनांक

सुनाया

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2026.02.10 10:35:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20432928